(2)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /2017 जिला–ग्वालियर (पुनरीक्षण) R-524-PBR-17

1. मैसर्स इन्द्रा क्रियेटर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म द्वारा मुनेन्द्र सिंह गौड पुत्र श्री बृजेन्द्र पाल सिंह गौड, आयु – 38 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार, निवासी – 3ए, बी–ब्लॉक, गोविन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.)

2. कपिल देव पुत्र श्री सी.वी. मदान, आयु – 36 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार, निवासी – बी–ब्लॉक, गोविन्दपुरी, ग्वालियर

3. वैदव्रत शर्मा पुत्र श्री गिरीश चन्द्र शर्मा, आयु– 43 वर्ष, व्यवसाय – व्यापार, निवासी – 3ए/43, न्यू कॉलोनी बिरला नगर, ग्वालियर

पी. ... द्वारा आज दि. 04.2.17 को प्रस्तुत 4.2.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

...... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर,

जिला – ग्वालियर ...... अनावेदक

5-2-17

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्यू/रीडर/नजूल/2017/942 में पारित आदेश दिनांक 19/01/2017 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 524–पीबीआर / 17 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के द्वारा प्रश्नाधीन शासकीय भूमि के सम्बंध में की गई कूटरचना के दोषी व्यक्तियों एवं शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने सम्बंधी प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया है, जो कि प्रशासनिक कार्यवाही है, और प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अतः प्रथम दृष्टया प्रशासनिक कार्यवाही के विरूद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	